

मिालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
66/02/	212 RTA	कोल्हखेडी	खंडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
आशुतोष कोठ	बनाम	अमरनाथ कोठ	

2021/188

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

10/01/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थी गणों के इस मीथालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सविस्ता को अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय कडस सुनी गई। पत्रोवली को अवलोकन किया गया। ग्राम कोल्हखेडी तहसील खंडा के आराजी खोता संख्या 43 ख.नं. 9। ख.वा 10.12 बीघा एवं खोता सं. 44 ख.नं. 87 ख.वा 9.04 बीघा भूमि के मोंका एक रिकार्ड की यथास्थिति वनोद्ये खेते हेतु अप्रार्थी गणों को जारिये अस्थायी निषेधाज्ञा से जांबंद किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के कहेले माशत आराजी में किसी प्रकार की दरखवाजी न तो खेच करें। और न ही अपने प्रतिनिधियों से करवें। एवं दान, रहन, बेचान आदि न करें। प्रकरणा दर्ज सजिस्ट्रेट किया जावे तथा अप्रार्थी गणों को जारिये समत. तलव कर पत्रोवली दिनांक 13/12/2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज.)

13/12/21

पत्रोवली पेशाहुई। ककुजाए परीकेत उपस्थित। प्रतिवादी गणों के बाद तामील समत प्राप्त। प्रतिवादी गणों को और से श्री दीपक कोठ एडवो. का ककालत नामा पेश हुआ। जोसे वारते जावाव पत्रोवली दिनांक 28/12/21 को पेश हो।

पत्रीवली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। तीन
 बार-अक-अक बार आवान लगाई गई। कोई उपस्थित
 नहीं। प्रकरण अदक हाजरी अदक पैरवी स्वरित किया
 जाता है। पत्रीवली प्रेशाल शुमार होकर दारिबल दफतर
 हो।